न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 830/2023

अमरेश कुमार सिंह..........................वादी।

बनाम्

जयनाथ सिंह वगै0 ....प्रतिवादीगण।

24.06.2025

आदेश

उभय पक्षों की पैरवी है। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 24.06.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये यह कथन करते है कि उपरोक्त वाद वादी ने अपने हिस्से के बटवारा हेतू दाखिल किया है। इस वाद में अर्जी में कुछ नाम टाईपिस्ट की गलती से टाईप होना छुट गया है। जिसका अर्जी में जोड़ा जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रस्तावित अर्जी मरम्मत फार्मल नेचर का है जिससे मुकदमा की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। जिसके आलोक में उमेश सिंह एवं कमलेश सिंह पिता जयनाथ सिंह को पक्षकार बनाना आवश्यक है तथा अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करते हुए, अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

पुकार पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा प्रतिवादी के तरफ से अनापत्ति भी अंकित किया गया है। वादी का आवेदन महज औपचारिक है एवं जिससे मुकदमा का प्रकृति नहीं बदलता है। अतः वादी के तरफ से दिनांक 24.06.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा उमेश सिंह एवं कमलेश सिंह को इस वाद में पक्षकार बतौर प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय उमेश सिंह एवं कमलेश सिंह को इस वाद में पक्षकार बतौर प्रतिवादी नाम जोड़े। वादी नए प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतू आवश्यक अपेक्षिकाएं दाखिल करें। तत्पश्चात् कार्यालय नोटिस निर्गत करें।

दिनांक– 15.07.2025 वास्ते उपस्थिति शेष प्रतिवादीगण हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)